अध्याय - 2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त

यह अध्याय वि.व. 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त का व्यापक परिदृष्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षो के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

2.1 वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव

इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के प्रमुख राजकोषीय संचयन में मुख्य बदलावों को सरसरी तौर पर दिया गया है। इन सभी संकेतकों का आगामी पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है। वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलावों को **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: वि.व. 2019-20 की तुलना में वि.व. 2020-21 में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयनों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियाँ	✓ राजस्व प्राप्तियाँ 11.18 *प्रतिशत* तक घट गई। ✓ स्वयं कर प्राप्तियाँ 19.53 *प्रतिशत* तक घट गई। ✓ गैर-कर प्राप्तियाँ 10.67 *प्रतिशत* तक घट गई। ✓ भा.स. से सहायता अनुदान 20.96 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय 1.96 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 11.13 *प्रतिशत* तक घट गया। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2.47 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 30.38 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। ✓ सहायता अनुदान एवं अंशदान पर व्यय 24.93 *प्रतिशत* तक घट गया।
पूँजीगत व्यय	✓ पूँजीगत व्यय 14.13 *प्रतिशत* तक घट गया। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 36.76 *प्रतिशत* तक घट गया। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 25.28 *प्रतिशत* तक घट गया। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 18.07 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।
ऋण तथा अग्रिम	✓ ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण 25.23 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। ✓ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां 23.33 *प्रतिशत* तक घट गई।
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियाँ 99.37 *प्रतिशत* तक बढ़[1] गई। ✓ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 16.15 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।

[1] ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को हटाने के बाद आया।

2.2 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के संघटकों की तुलना करता है। 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरणों को **तालिका 2.2, चार्ट 2.1 तथा चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि/कमी (*प्रतिशत* में)
स्रोत	आरंभिक शेष	4,463	6,001	34.46
	राजस्व प्राप्तियाँ	47,136	41,864	(-) 11.18
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	823	631	(-) 23.33
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	1,954	12,100[2]	219.08[3]
	कुल	**54,376**	**60,596**	**11.44**
उपयोग	राजस्व व्यय	39,637	40,414	1.96
	पूँजीगत व्यय	5,472	4,699	(-) 14.13
	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	3,266	4,090	25.23
	अंतिम शेष	6,001	11,393	89.85
	कुल	**54,376**	**60,596**	**11.44**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.1: संसाधनों की संरचना (2020-21)

(*प्रतिशत* में)

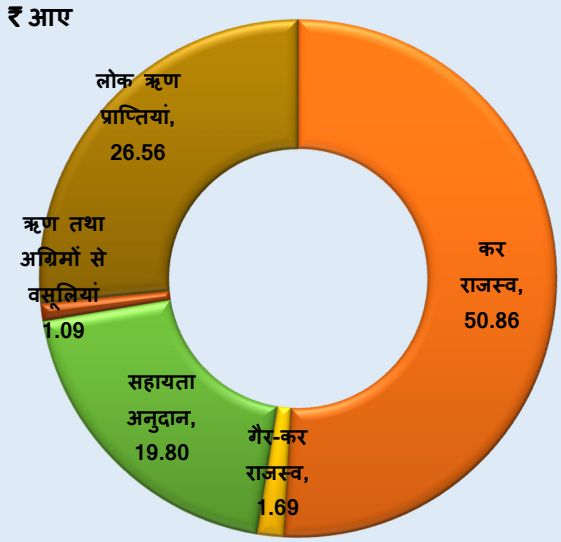

चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (2020-21)

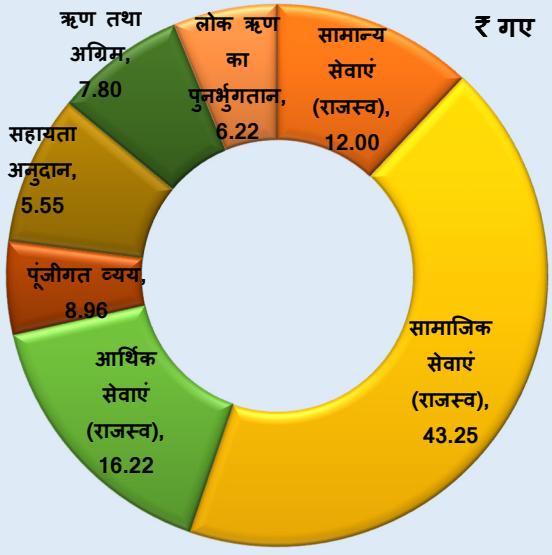

[2] 2019-20 के दौरान ₹ 4,540.60 करोड़ से 2020-21 के दौरान ₹ 9,500 करोड़ के लघु बचत संग्रहण के अंश के भा.स. से संवितरण में हुई वृद्धि के कारण । इसके अतिरिक्त, इसमें 2020-21 के दौरान भा.स. से व.से.क. मुआवजा कमी के बदले प्राप्त किए गए ₹ 5,865 करोड़ का निरंतर ऋण भी सम्मिलित है।

[3] ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को हटाने के बाद आया।

2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान निहित होती है।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां, भा.स. से ऋण द्वारा प्राप्तियाँ तथा विभिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती है।

राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही रा.रा.क्षे. दिल्ली के समेकित निधियों का अंश होती है।

2.3.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियाँ

समग्र प्राप्तियों की संरचना को **चार्ट 2.3** में नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.3: 2020-21 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों की संरचना

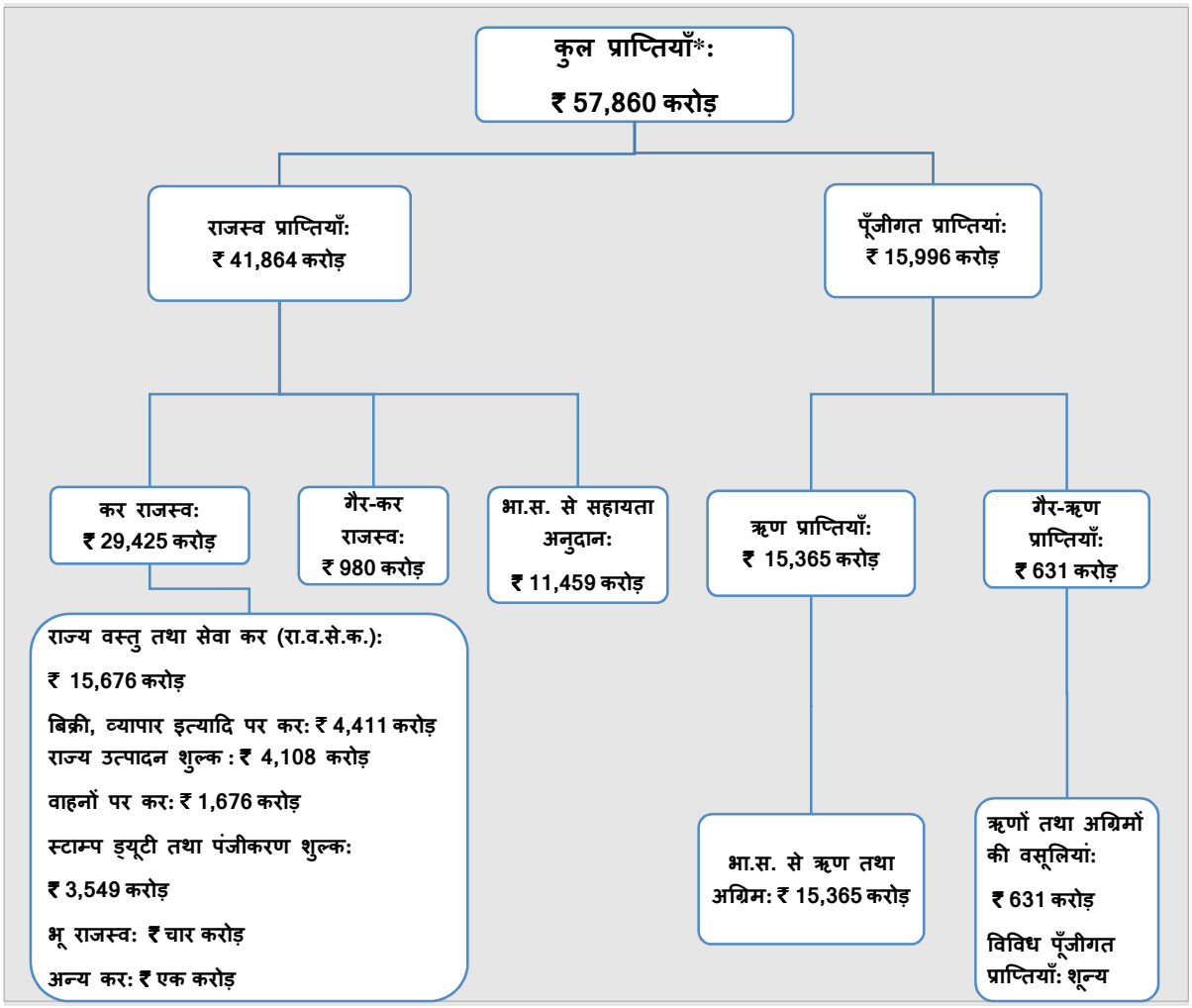

*आरंभिक शेष तथा आकस्मिक निधियों को छोड़कर

2.3.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के कर, गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान निहित होती हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में प्रवृतियां, की वृद्धि में प्रवृत्तियां स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियाँ एवं उत्पलावकता अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** एवं **चार्ट 2.4** में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864[4]
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	-1.87	12.58	11.50	9.33	-11.18
स्वयं कर राजस्व	31,140	35,717	36,625	36,566	29,425
स्वयं गैर-कर राजस्व	381	766	644	1,097	980
स्वयं राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं कर तथा गैर-कर राजस्व) (*प्रतिशत*)	2.54	15.74	2.15	1.06	-19.27
भा.स. से सहायता अनुदान	2,825	2,184	5,844	9,473	11,459
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	6,16,085	6,77,900	7,50,962	8,30,872	7,98,310
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	11.85	10.03	10.78	10.64	-3.92
रा.प्रा./सं.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	5.57	5.70	5.74	5.67	5.24
उत्पलावकता अनुपात[5]					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	-0.16	1.25	1.07	0.88	2.85
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली की स्वयं राजस्व उत्पलावकता	0.21	1.57	0.20	0.10	4.92

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियाँ 4.07 *प्रतिशत* वार्षिक औसत वृद्धि दर से 2016-17 में ₹ 34,346 करोड़ से 21.89 *प्रतिशत* बढकर 2020-21 में ₹ 41,864 करोड हो गई, जिसमें से उक्त अवधि के दौरान क्रमश: रा.रा.क्षे दिल्ली के स्वयं कर

[4] व.से.क. मुआवजा (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 7,264.45 करोड़ का व.से.क. प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान व.से.क. क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, दिल्ली को रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के तहत ₹ 5,865 करोड़ का बैक टू बैक भी बिना चुकौती देयता के मिला। इस व्यवस्था के कारण, राजस्व प्राप्ति को व.से.क. मुआवजे के बदले ₹ 5,865 करोड़ की ऋण प्राप्ति के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है।

[5] उत्पलावकता अनुपात मूल विभिन्नताओं में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय विभिन्नताओं की जवाबदेही की शिथिलता तथा मात्रा को दर्शाता है। उदाहरणार्थ, 1.85 पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता का तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियाँ प्रवृत्ति 1.85 प्रतिशत प्वांइटस तक बढ़ जाती, यदि स.रा.घ.उ. एक *प्रतिशत* तक बढ़ता।

राजस्व में 1,715 करोड़ (5.51 *प्रतिशत*) की कमी हुई जबकि सहायता अनुदान में ₹ 8,634 करोड़ (305.63 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 11.18 *प्रतिशत* तक घट गई, जो विशेष रूप से स्वयं कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व में क्रमशः ₹ 7,141 करोड़ (19.53 *प्रतिशत*) तथा ₹ 117 करोड़ (10.67 *प्रतिशत*) में कमी के कारण था।

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व का अंश 2016-17 में 90.67 *प्रतिशत* से घटकर 2020-21 में 70.29 *प्रतिशत* हो गया। 2016-17 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 91.77 *प्रतिशत* तक थी जबकि सहायता अनुदान अंशदान 8.23 *प्रतिशत* था। वर्ष 2020-21 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 72.63 *प्रतिशत* तक थीं जबकि सहायता अनुदान का योगदान 27.37 *प्रतिशत* था।

चार्ट 2.4: 2016-2021 के दौरान स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

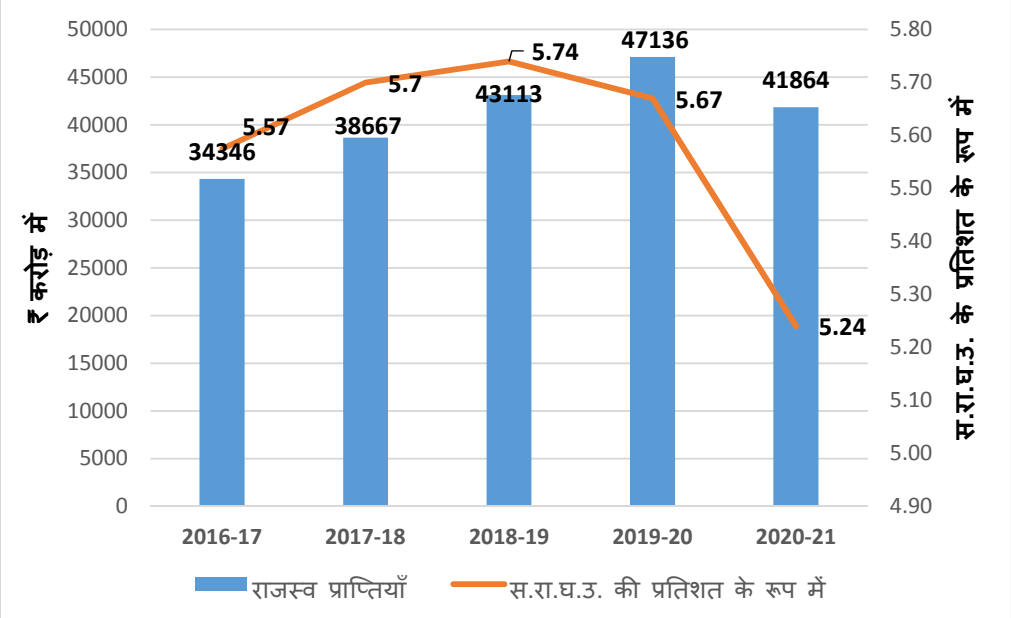

रा.रा.क्षे. दिल्ली की स.रा.घ.उ. 2016-17 में ₹ 6,16,085 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 7,98,310 करोड़ (29.58 *प्रतिशत*) हो गई। 2019-20 की तुलना में, स.रा.घ.उ. (₹ 8,30,872 करोड़) में कमी होकर 2020-21 में ₹ 7,98,310 करोड़ (3.92 *प्रतिशत*) हो गई। स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 2016-17 में 5.57 *प्रतिशत* से घटकर 2020-21 में 5.24 *प्रतिशत* हो गई। वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए

स.रा.घ.उ. की *प्रतिशतता* के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष-वार आधार पर मिश्रित प्रवृत्तियों को दर्शा रही थी।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2020-21 में 2.85 पर थी जिसका तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियाँ 2.85 *प्रतिशत* बिन्दुओं तक घट गई, यदि स.रा.घ.उ. एक *प्रतिशत* तक घट गई। 2020-21 में रा.रा.क्षे. दिल्ली की स.रा.घ.उ. के संदर्भ में स्वयं राजस्व उत्पलावकता 4.92 थी, इसका तात्पर्य है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली की स्वयं राजस्व प्राप्तियाँ 4.92 *प्रतिशत* बिंदु तक घट गई, यदि स.रा.घ.उ. एक *प्रतिशत* तक घट गई थी।

राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: राज्य की राजस्व प्राप्तियों में संघटकों की प्रवृत्तियां

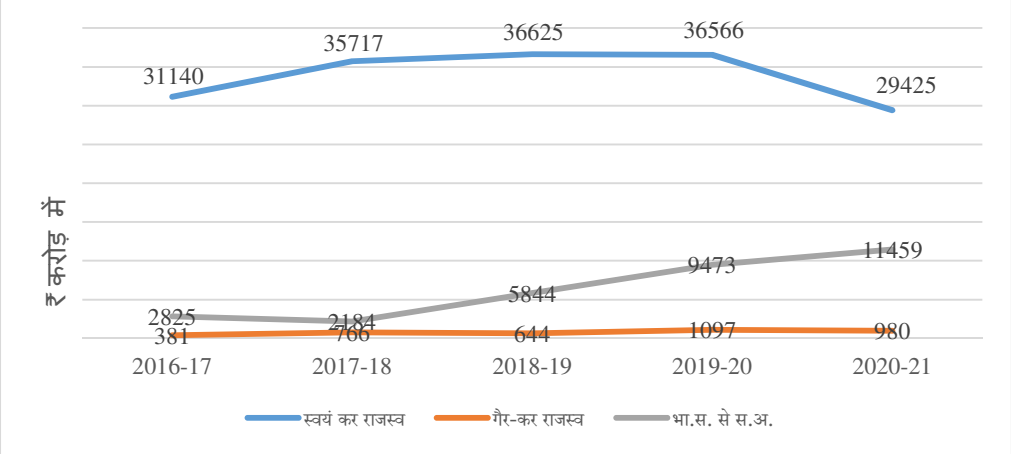

स्वयं कर राजस्व 2016-17 से 2018-19 तक बढ़ी हुई प्रवृत्तियों को दर्शा रहा था परंतु 2019-20 की तुलना में 2020-21 में महत्वपूर्ण रूप से ₹ 7,141 करोड़ घट गया। हालांकि, भा.स. से स.अ. 2016-17 से 2017-18 तक घटी हुई प्रवृत्ति को दर्शा रहा था परंतु 2018-19 से 2020-21 तक लगातार वृद्धि हो रही थी। पिछले पांच वर्ष की तुलना में गैर-कर राजस्व मिश्रित प्रवृत्तियों को दर्शा रहा था।

2.3.2.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन

संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे. दिल्ली का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें स्वयं कर एवं गैर-कर शामिल है, से होता है।

स्वयं कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व में राज्य ब.से.क., राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प डयूटी तथा पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व इत्यादि सम्मिलित होते हैं। 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे

दिल्ली के स्वयं कर राजस्व के संघटकों की प्रवृत्ति को **तालिका 2.4 तथा चार्ट 2.6** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6: 2016-17 से 2020-21 के दौरान स्वयं कर राजस्व की वृद्धि

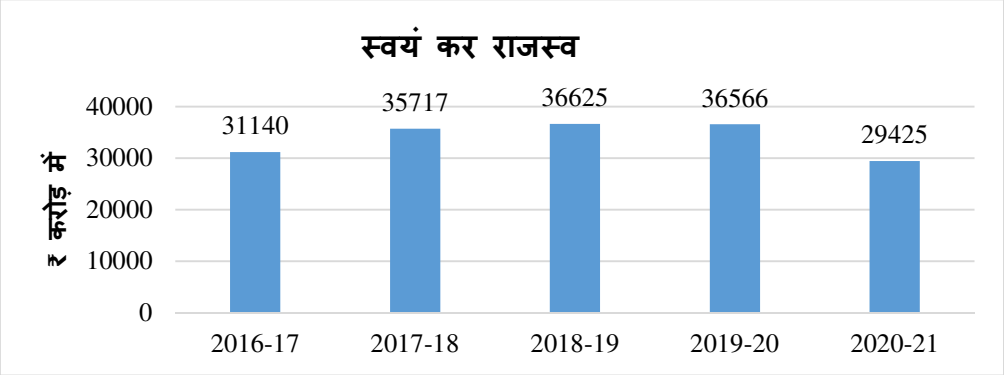

तालिका 2.4: रा.रा.क्षे दिल्ली के स्वयं कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य वस्तु तथा सेवा कर (रा.व.से.क.)	-	13,621	19,187	19,465	15,676
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	21,144	11,149	5,886	5,475	4,411
राज्य उत्पाद शुल्क	4,251	4,453	5,028	5,068	4,108
वाहनों पर कर	1,809	2,116	2,055	1,948	1,676
स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	3,144	4,117	4,459	4,606	3,549
भू राजस्व	2	2	0	3	4
अन्य कर[6]	790	259	10	1	1
कर राजस्व	**31,140**	**35,717**	**36,625**	**36,566**	**29,425**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.5: वर्ष 2020-21 के लिए ब.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का कर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ. और वास्तविक के बीच अन्तर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	23,800	15,676	(-)8,124	(-) 34.13
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,200	4,411	(-)1,789	(-) 28.85
राज्य उत्पाद शुल्क	6,300	4,108	(-)2,192	(-) 34.79
वाहनों पर कर	2,500	1,676	(-)824	(-) 32.96
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	5,297	3,549	(-)1,748	(-) 33
भू-राजस्व	3	4	(+)1	(+)33.33
अन्य कर	0	1		-
कुल	**44,100**	**29,425**	**(-)14,675**	**(-) 33.28**

[6] मनोरंजन कर, बैटिंग कर, विलासिता कर तथा केबल कर को शामिल करते हुए अन्य कर

2020-21 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में सभी राजस्व मदों (भू-राज्स्व को छोड़कर) में कमी थी।

वस्तु तथा सेवा कर (व.से.क.)

व.से.क. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017, के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए आधार वर्ष (2015-16) से 14 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वस्तु तथा सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्थित राजस्व में हुई कमी के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जायेगा। केन्द्र वस्तु तथा सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत व.से.क. उद्गृहीत करता है तथा राज्यों को कर के अंश बांटता है जहां वस्तुएं अथवा सेवाओं का उपभोग किया जाता है। रा.व.से.क. संग्रहण में प्रवृत्तियों को **तालिका 2.6 तथा चार्ट 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: राज्य रा.ब.से.क. तथा प्राप्त किया गया मुआवजा

(₹ करोड़ में)

महिना	प्रक्षेपित किया जाने वाला राजस्व	संग्रहित किया गया पूर्व व.से.क. कर*	संग्रहित किया गया रा.व.से.क.	ए.ब.से.क. का अनंतिम विभाजन + ए.ब.से.क. निधि से तदर्थ निपटान	अन्य कर**	प्राप्त की गई कुल राशि	प्राप्त किया गया मुआवजा***	मुआवजे के प्रति ऋण
अप्रैल 2020	2693	10.31	227.44	80.07	1.76	319.58		
मई 2020	2693	9.02	494.04	585.58	1.10	1089.74		
जून 2020	2693	-3.38	758.60	329.05	1.02	1085.29		
जुलाई 2020	2693	5.79	650.63	685.13	0.55	1342.10		
अगस्त 2020	2693	15.77	676.73	528.08	0.03	1220.61		
सितम्बर 2020	2693	10.05	743.80	481.73	0.06	1235.64		
अक्तूबर 2020	2693	9.80	777.15	613.03	0.01	1399.99	7264.45	
नवम्बर 2020	2693	-4.13	811.80	444.10	0.08	1251.85		1706.93
दिसम्बर 2020	2693	-10.98	801.49	412.11	0.01	1202.63		1611.08
जनवरी 2021	2693	18.78	862.15	562.67	0.03	1443.63		1277.24
फरवरी 2021	2693	2.35	276.75	1612.07	0.07	1891.24		904.71
मार्च 2021	2693	18.69	922.95	1338.99	0.09	2280.72		365.04
कुल	**32316**	**82.07**	**8003.53**	**7672.61**	**4.81**	**15763.02**	**7264.45**	**5865.00**

* पैट्रोलियम तथा शराब को छोड़कर वैट एवं के.बि.क. सम्मिलित है।

** अन्य कर में मनोरंजन कर, केबल कर लॉटरी, शर्त, सट्टेबाजी कर तथा दवाई एवं टॉयलेट सामग्री पर उत्पाद शुल्क इत्यादि शामिल है।

*** वित्त लेखों के अनुसार, वि.व. 2020-21 के दौरान ₹ 5,521.65 करोड़ प्राप्त किए गए थे। इसमें वि.व. 2019-20 से संबंधित ₹ 2,160 करोड़ सम्मिलित है तथा चालू वर्ष (2021-22) के दौरान ₹ 3,902.80 करोड़ प्राप्त किए गए थे। (₹ 5,521.65 करोड़ - ₹ 2,160 करोड़ + ₹ 3,902.80 करोड़ = ₹ 7,264.45 करोड़)

वर्ष 2020-21 के लिए प्रक्षेपित राजस्व 14 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि के अनुसार ₹ 32,316 करोड़ था। इसके विपरीत वर्ष 2020-21 के दौरान व.से.क. के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 15,763.02 करोड़ थी और प्राप्त किया गया मुआवजा ₹ 7,264.45 करोड था तथा मुआवजे के प्रति ऋण[7] ₹ 5,865 करोड़ था जैसा कि **तालिका 2.6** में विस्तृत किया गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 31 मार्च 2021 तक मुआवजे की प्राप्ति में ₹ 3,423.52 करोड़ की कमी थी।

चार्ट 2.7 रा.व.से.क. संग्रहण में प्रवृत्तियां

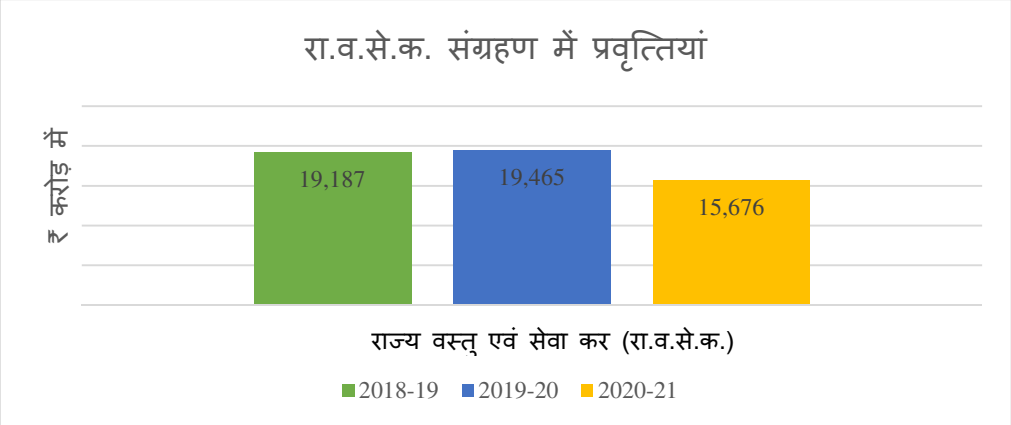

रा.व.से.क. संग्रहण 2019-20 में ₹ 19,465 करोड़ से ₹ 3,789 करोड़ (19.47 *प्रतिशत*) घट कर 2020-21 में ₹ 15,676 करोड़ हो गया।

वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने कहा (सितम्बर 2021) कि रा.व.से.क. संग्रहण लॉकडाउन एवं अन्य प्रभावी कोविड महामारी के कारण घट गया।

एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (ए.व.से.क.)

रा.रा.क्षे.दि.स., भारत सरकार से एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर के आई.टी.सी. तथा रा.व.से.क./ यू.टी.ब.से.क. के उपयोग किए जाने के आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित ए.व.से.क. के निपटान के प्रति निधियां प्राप्त करती है जिसको रा.व.से.क. के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान प्राप्त की गई निधियों के विवरणों को **तालिका 2.7** में दिया गया है।

[7] व.से.क. मुआवजे के लिए विकल्प के रूप में भा.स. द्वारा राज्यों को संचारित (अगस्त 2020) की गई ऋण नियम की शर्तों के अनुसार, 'व.से.क. मुआवजा निधि' में सैस के संग्रहण से ऋण का भुगतान किया जाना चाहिए तथा भुगतान का दायित्व राज्य के किसी अन्य संसाधनों से नहीं मिलना चाहिए।

तालिका 2.7: 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए
ए.व.से.क. प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
इनपुट टैक्स क्रेडिट	2,419	3,501	2626
ए.व.से.क. का विभाजन	3,607	4,239	3454
रा.व.से.क. का अग्रिम विभाजन	2,582	157	1593
कुल	**8608**	**7897**	**7673**

राजस्व के बकाये

राजस्व के बकाये, सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में की गई देरी को दर्शाता है। व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार मुख्यशीर्ष 0040 - बिक्री पर कर, व्यापार आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक राजस्व बकायों का विवरणों की सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों से अधिक के लिए ₹ 76,555 करोड़ की राशि में से ₹ 24,517 करोड़ की राशि बकाया थी।

निर्धारण के बकाये

निर्धारण के बकाये संभावित राजस्व को दर्शाते हैं जो कि विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध थे। वर्ष के आरंभ में लम्बित मामले, निर्धारण के लिए देय मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण किए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8 निर्धारण के बकाये

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	मामलों के प्रारंभिक शेष	2020-21 के दौरान निर्धारण के लिए देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2020-21 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निपटान की प्रतिशतता
0040 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0	3,82,034	3,82,034	3,82,034	0	100

स्रोत: व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, वापसी के मामले इत्यादि का विवरण

उत्पाद तथा कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले, अंतिमकरण किए गए मामले तथा उद्घृत किए गए अतिरिक्त कर हेतु मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों का महत्वपूर्ण संकेतक है। कर वापसी मामले के निपटान में तत्परता विभाग के निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेतक है।

वापसी मामले का अधिक लंबन लालफीताशाही, निहित स्वार्थ, अतिरिक्त मुद्रा के प्रचलन इत्यादि के संकेतक है। वर्ष 2020-21 के लिए पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले तथा वापसी मामलों के विवरणों को **तालिका 2.9** तथा **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: पता लगाए गए कर के अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 तक लंबित मामले	2020-21 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	कुल मामले की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी की गई तथा अतिरिक्त मांग के साथ उदघृत किए गए जुर्माने इत्यादि		31 मार्च 2021 तक अपील के अंतर्गत लंबित मामले की संख्या
				मामले की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
व.से.क.	07	2632	2639	2403	(क) 36.92 (ख) 28.31	236

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 2.10: वर्ष 2020-21 के लिए वापसी मामलों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	व.से.क.		बिक्री कर /वैट	
		मामले की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	मामले की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	- (#)		17,759	1,344.59
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	32902	4366.79	8	4.36
3	वर्ष के दौरान की गई वापसी	21372	1664.37	3,096	108.80
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिभागी/समायोजित वापसियां	*	1830.32	1,339	10.09
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	5266	1312.37	14,671	1,230.06

वर्ष 2019-20 के लिए विभाग द्वारा अंतिम शेष सूचित नहीं किया गया था।

* अस्वीकृत मामलों की संख्या के संबंध में सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली के गैर-कर राजस्व तथा प्रवृत्तियां के संघटकों को **तालिका 2.11** तथा **चार्ट 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.11: रा.रा.क्षे. दिल्ली के गैर-कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ब्याज प्राप्तियाँ	**82**	**396**	**113**	**404**	**468**
लाभांश तथा लाभ	**11**	**16**	**15**	**16**	**10**
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	**288**	**354**	**516**	**677**	**502**
क. लोक निर्माण	22	14	18	13	43
ख. शिक्षा	24	26	29	27	79

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ग. चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	60	89	103	112	95
घ. उर्जा	21	26	53	87	33
ङ. अन्य इत्यादि	161	199	313	438	252
कुल गैर-कर राजस्व	**381**	**766**	**644**	**1,097**	**980**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

गैर-कर राजस्व 2016-17 में ₹ 381 करोड़ से 157.22 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में ₹ 980 करोड़ हो गया। गैर-कर राजस्व जो कि 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 41,864 करोड़) का 2.34 *प्रतिशत* था पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 117 करोड़ (10.67 *प्रतिशत*) तक कम हो गया मुख्य रूप से अन्य गैर-कर प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 25.85 *प्रतिशत* तक की कमी के कारण हुई।

वर्ष 2020-21 के लिए ब.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का कर राजस्व **तालिका 2.12** में दिखाया गया है।

तालिका 2.12: वर्ष 2020-21 के लिए ब.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. की वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ. और वास्तविक के बीच अन्तर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
ब्याज प्राप्तियां	330.00	468	(+)138	(+) 41.82
लाभांश और लाभ	25.00	10	(-)15	(-) 60
अन्य गैर-कर प्राप्तियां	445	502	(+) 57	(+) 12.81
कुल	800	980	(+) 180	(+) 22.5

2020-21 के दौरान, बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व शीर्ष (लाभांश और लाभ) में कमी थी।

चार्ट 2.8: गैर-कर राजस्व शीर्ष में प्रवृत्तियां

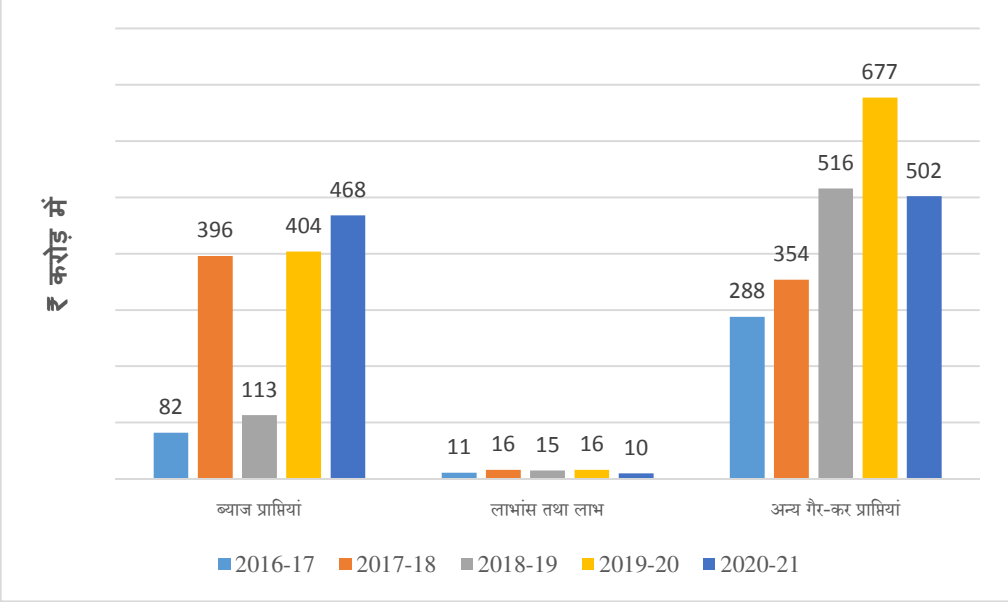

अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 214 करोड़ (74.31 *प्रतिशत*) तक बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान अन्य गैर-कर प्राप्तियों में ₹ 175 करोड़ (25.85 *प्रतिशत)* की कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अंतर्गत शीर्ष जैसे लोक सेवा आयोग, जेल तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं में गैर कर प्राप्तियों में कमी के कारण हुई थी। अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: अन्य गैर-कर प्राप्तिय शीर्षो में प्रवृत्तियां

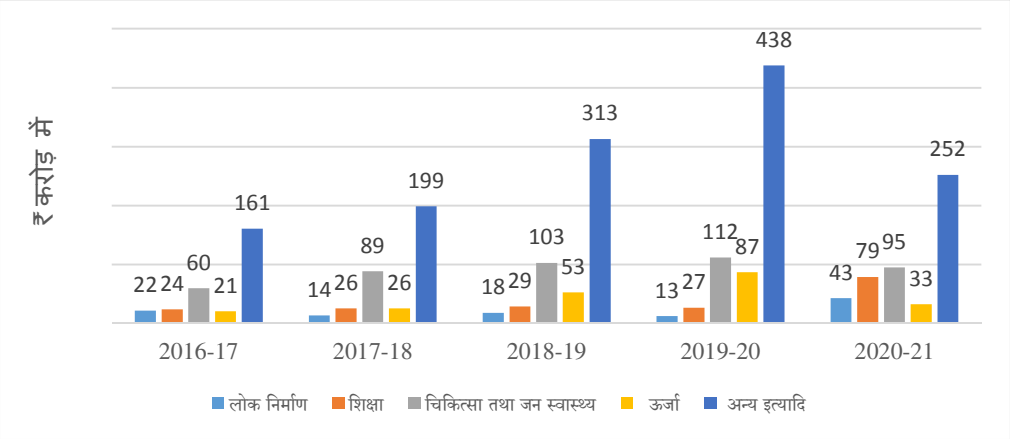

2.3.2.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना तथा गैर-योजना वर्गीकरण को बंद कर दिया था। 2020-21 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. को भा.स. से ₹ 10,409 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले ₹ 11,459 करोड़ (110 *प्रतिशत*) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। भा.स. से स.अ. के विवरण **तालिका 2.13** में है।

तालिका 2.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (के.प्रा.यो.)	1,156.28	527.27	807.03	1,169.48	1,441.46
सामान्य केन्द्रीय योजना सहायता (ब्लॉक अनुदान)	462.89	412.98	449.99	472.00	626.00
अन्य अनुदान (एन पी)	793.71	706.30	79.75	70.56	-
केन्द्रीय करों में अंश के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
व.से.क. के कार्यान्यवन से उत्थित राजस्व की हानि का मुआवजा	-	157.00	4,182.00	7,436.00	5,521.65
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.)	81.73	54.59	रा.सा.स.का. योजना 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई।	रा.सा.स.का. योजना 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई।	रा.सा.स.का. योजना 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई।

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.)	5.54	1.16	-	-	-
अन्य अनुदान (योजना)	-	-	-	-	-
दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया फंड में योगदान	-	-	-	-	161.49
ए.व.से.क. हस्तांतरण का प्रत्यावर्तन तथा शेष ए.व.से.क. का विनियोग	-	-	-	-	3383.00
कुल	**2,825.15**	**2,184.30**	**5,843.77**	**9,473.04**	**11,458.60**
स.अ. से राजस्व प्राप्तियों के प्रति स.अ. की प्रतिशतता	**8.23**	**5.65**	**13.55**	**20.10**	**27.37**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भा.स. से स.अ. 2016-17 में ₹ 2,825 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 11,459 करोड़ (305.63 *प्रतिशत*) तक हो गया। भा.स. से स.अ. पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में ₹ 1,986 करोड़ (20.96 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। यह मुख्यतः ए.व.से.क. हस्तांतरण का प्रत्यावर्तन तथा शेष ए.व.से.क. का विनियोग शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3,383 करोड़ जारी करने के कारण था। दिल्ली, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत आच्छादित नहीं थी और केन्द्रीय कर तथा शुल्कों के राज्य अंश के बदले में केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त किए गए थे जो कि 2001-2002 से ₹ 325 करोड़ तक स्थिर हो गये हैं, यद्यपि केन्द्रीय कर संग्रहण 2001-02 से पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के लिए स.अ. में प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: सहायता अनुदान में प्रवृत्ति

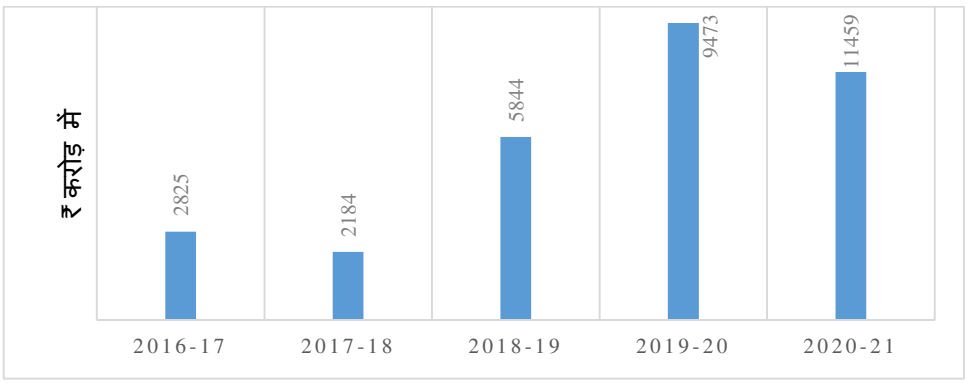

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए पाँच योजनाओं का चयन किया है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैः

(i) एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटीः

सा.वि.नि., 2017 के नियम 238(1) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.ए.) भा.स. ने स्मार्ट सिटी मिशन (एमसीएम) के अंतर्गत नई दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 2015-16 और 2020-21 के मध्य रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 294.00 करोड़ रूपये जारी किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 294.00 करोड़ में से, एन.डी.एम.सी. ने 31 मार्च 2021 तक ₹ 203.63 करोड़ खर्च किए, जिसमें ₹ 90.37 करोड़ बिना खर्च किए रह गये।

शहरी विकास (श.वि.) विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्तूबर 2021) कि एन.डी.एम.सी. एस.सी.एम. के विरूद्ध उ.प्र.प्र. सीधे एम.ओ.एच.यू.ए., भा.स. को प्रस्तुत करता है। हालांकि, श.वि. विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. के पास विस्तृत व्यय और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की उपलब्धता के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि एन.डी.एम.सी. ने सहायता अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

मामला अक्तूबर 2021 में विभाग को भेजा गया, उनका जवाब अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

(ii) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डी.एस.एच.एम.):

दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डी.एस.एच.एम.) ने 2020-21 के दौरान ₹ 797.51 करोड़ का सहायता अनुदान एवं दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जोकि कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज, (₹ 787.91 करोड़) तथा कोविड-19 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए टीकाकरण (₹ 3.46 करोड़ **+** 6.14 करोड़ **=** ₹ 9.60 करोड़) का सहायता अनुदान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 797.51 करोड़ के कुल अनुदान के प्रति ₹ 136.45 करोड़ तथा ₹ 6.14 करोड़ की राशि वर्ष के अंत में जोकि क्रमशः 26 और 31 मार्च 2021 को जारी की गई थी तथा विभाग द्वारा प्राप्त उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त किए गए कुल अनुदान ₹ 797.51 करोड़ के प्रति ₹ 542.88 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 254.63 करोड़ (31.93 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

डी.एस.एच.एम. ने कहा (अक्तूबर 2021) कि भा.स. द्वारा अंतिम किस्त जारी करने में देरी के कारण व्यय नहीं किया जा सका था। इसमें यह भी कहा गया कि 2020-21 में किए गए क्रियाकलापों के सभी प्रतिबद्ध व्यय का भुगतान 2021-22 की पहली एवं दूसरी तिमाही में किया गया था। जवाब संतोषजनक

नहीं है, क्योंकि ₹ 142.59 करोड़ (₹ 136.45 करोड़ + 6.14 करोड़) की राशि वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थी, परन्तु कोविड-19 आपातकाल तथा स्वास्थ्य देखभाल एवं फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कोविड-19 टीकाकरण के उद्देश्य के लिए प्राप्त ₹ 112.04 करोड़ की शेष राशि इस उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया। कोविड-19 टीकाकरण के लिए जनवरी 2021 में प्राप्त ₹ 3.46 करोड़ के अनुदान के अलावा, विभाग ने 2020-21 के दौरान के ₹ 0.04 करोड़ (1.16 प्रतिशत) ही खर्च किए और अनुदान के उद्देश्य को ही विफल कर दिया।

(iii) दिल्ली पुलिस सेवा संस्थाः

दिल्ली पुलिस सेवा संस्था को वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली पुलिस (निर्भया फंड) द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 333.27 करोड़ (2 मार्च 2019 को ₹ 64.67 करोड़ और 26 सितम्बर 2019 को ₹ 268.60 करोड़) की सहायता अनुदान प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 333.27 करोड़ में से दिल्ली पुलिस ने 27 सितम्बर 2019 को सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्पयूटिंग (सी-डैक), पुणे को अग्रिम भुगतान (मोबिलाइजेशन फंड) के रूप में ₹ 45 करोड़ जारी किए, जिसमें ₹ 13.61 करोड़ का अर्जित ब्याज (वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान) सहित 31 मार्च 2021 को ₹ 301.88 करोड़ का अंतिम शेष था।

दिल्ली पुलिस ने कहा (अक्तूबर 2021) कि सी-डैक द्वारा मास्टर-सिस्टम इंटीग्रेटर (एम.एस.आई.) और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) के चयन में विलम्ब के कारण, राशि का उपयोग 2019-20 और 2020-21 की अवधि में नहीं किया जा सका था।

(iv) मिड-डे-मील योजना तथा प्रांरभिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 78.68 करोड़ की अनुदान जारी की थी। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 78.68 करोड़ की अनुदान में से ₹ 16.33 करोड़ की अनुदान केवल मार्च 2021 के महीने में प्राप्त हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप अनुदान को उस उद्देश्य के लिए योजना कार्यान्वयन एजेंसियों को आगे वितरित नहीं किया जा सका, जिस उद्देश्य से इसे स्वीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भा.स. ने भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 118.91 करोड़ का

अनुदान जारी किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 118.91 करोड़ के अनुदान में से ₹ 12.13 करोड़ का अनुदान केवल 27 मार्च 2021 को प्राप्त हुए थे। जिसके परिणामस्वरूप अनुदान का उपयोग 2020-21 के दौरान नहीं किया जा सका था।

(v) एकीकृत बाल विकास सेवा (ए.बा.वि.से.) और पूरक पोषक कार्यक्रम (पू.पो.का.)

2020-21 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को एकीकृत बाल विकास सेवा (ए.बा.वि.से.) और पूरक पोषक कार्यक्रम के अंतर्गत महिला और बाल विकास मंत्रालय, भा.स. से क्रमशः ₹ 35.47 करोड़ एवं ₹ 65.40 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ए.बा.वि.से. के अंतर्गत ₹ 35.47 करोड़ के स.अ. के प्रति विभाग ने ₹ 63.69[8] करोड़ के कुल उपलब्धता के प्रति ₹ 70.92 करोड़ का व्यय किया था। इसी प्रकार, पू.पो.का. के अंतर्गत विभाग ने ₹ 65.40 करोड़ के स.अ. के प्रति, ₹ 41.18[9] करोड़ की कुल उपब्धता के प्रति ₹ 71.79 करोड़ का व्यय किया था।

इस प्रकार ए.बा.वि.यो. एवं पू.पो.का. के अंतर्गत क्रमशः ₹ 7.23 करोड़ एवं ₹ 30.61 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2021) कि लाभार्भियों की संख्या में वृद्धि के कारण निधि अपर्याप्त रही और जो व्यय अधिक हुआ उसे राज्य के अंश से वहन किया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि अतिरिक्त व्यय भा.स. से धन प्राप्त होने के बाद अगले वित्त वर्ष में समायोजित किया जाएगा। हालांकि, राज्य अंश से अधिक व्यय की पूर्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभाग के अभिलेखों में नहीं पायी गई थी। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भा.स. को लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के संबंध में सूचना भी उपलब्ध नहीं थी।

विभाग को मामला अक्तूबर 2021 में बताया गया था, पर उनका जवाब अभी तक प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों में भा.स. से ऋणों तथा अग्रिमों (गैर-ऋणों) की वसूलियां तथा ऋणों तथा अग्रिमों (ऋण) की प्राप्तियाँ समाहित होती है।

[8] ₹ 28.22 करोड़ (2019-20) + ₹ 35.47 करोड़ (2020-21) का अव्ययित शेष

[9] ₹ 24.22 करोड़ (2019-20) + ₹ 65.40 करोड़ (2020-21) का अधिक व्यय

पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21 तक) के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.14** में विस्तृत किया गया है।

तालिका 2.14: पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटकों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों के स्रोत	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण तथा गैर-ऋण)	**1,908**	**2,597**	**4,524**	**5,588**	**15,996**
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां (गैर-ऋण)	212	691	1,644	823	631
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	**41**	**224**	**(-)756**	**1,954**	**12,100**
आंतरिक ऋण[10]	-	-	-	-	-
वृद्धि दर	-	-	-	-	-
भा.स. से ऋण तथा अग्रिम (ऋण)	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	(-)24.32	12.38	51.10	65.45	99.37[11]
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	155.42	225.94	137.92	(-)49.94	(-)23.33
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	11.85	10.03	10.78	10.64	(-)3.92
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर *(प्रतिशत)*	(-)17.90	36.11	74.20	23.52	186.26

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेख

गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे-ऋण एवं अग्रिमों की वसुलियाँ 2019-20 में ₹ 823 करोड़ से 23.33 *प्रतिशत* घट कर 2020-21 में ₹ 631 करोड़ हो गई। ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे भा.स. से ऋणों तथा अग्रिमों में 99.37[12] *प्रतिशत* अधिक वृद्धि के कारण 2019-20 में ₹ 4,765 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 15,365 करोड़ हो गई।

2.4 संसाधनों के उपयोग

राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी के साथ निहित है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करती है कि राज्य में चल रहे वित्तीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर नहीं है। यह पैराग्राफ उप-पैराग्राफ के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि तथा संघटन

पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) की तुलना में कुल व्यय की प्रवृत्तियां तथा संघटन **तालिका 2.15** तथा **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

[10] रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई आंतरिक ऋण नहीं है।.

[11] ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को हटाने के बाद आया।

[12] ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को हटाने के बाद आया।

तालिका 2.15: कुल व्यय तथा इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	3,754	3,243	3,266	5,472	4,699
ऋण तथा अग्रिम	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./स.रा.घ.उ.	5.78	5.79	5.66	5.82	6.16
रा.व्य./स.रा.घ.उ.	4.76	4.98	4.91	4.77	5.06
पूँ.व्य./स.रा.घ.उ.	0.61	0.48	0.43	0.66	0.59
ऋण तथा अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.41	0.33	0.32	0.39	0.51

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11: कुल व्यय: प्रवृत्तियां और संरचना

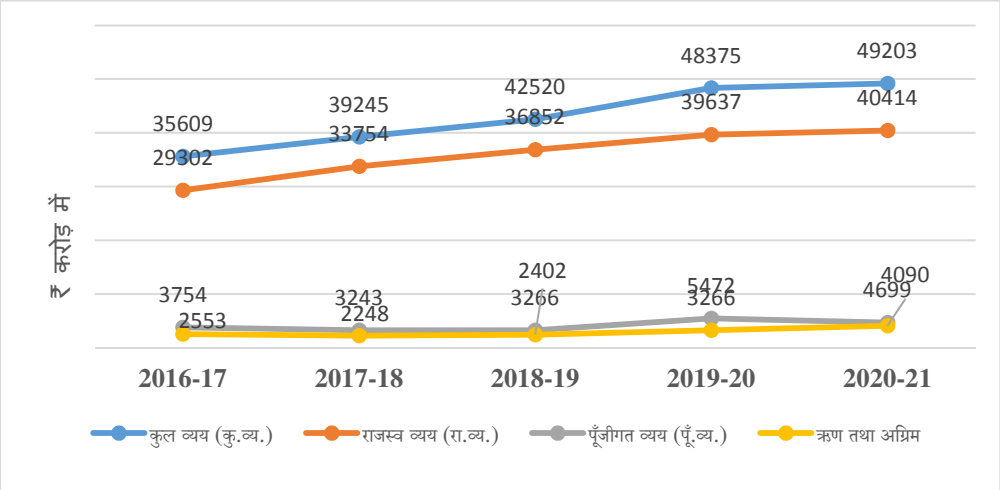

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट से यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान 6.68 *प्रतिशत* की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सं.वा.वृ.द.) पर ₹ 35,609 करोड़ से लगातार बढ़कर ₹ 49,203 करोड़ हो गया।

इसी प्रकार, राजस्व व्यय 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹ 29,302 करोड़ से 6.64 *प्रतिशत* की सं.वा.वृ.द. से बढ़कर ₹ 40,414 करोड़ हो गया पूँजीगत व्यय वर्ष के मध्य में ₹ 3,243 करोड़ (2017-18) और ₹ 5,472 करोड़ (2019-20) के बीच उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण भी वर्ष के मध्य में ₹ 2,248 करोड़ और ₹ 4,090 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

व्यय के संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां

कुल व्यय के संघटकों के अंश में प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.12** में दर्शाया गया है। राजस्व व्यय कुल व्यय का 82.14 *प्रतिशत* था जबकि वर्ष 2020-21 के लिए पूँजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमश: 9.55 *प्रतिशत* तथा 8.31 *प्रतिशत* था।

चार्ट 2.12: कुल व्यय: इनके संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां

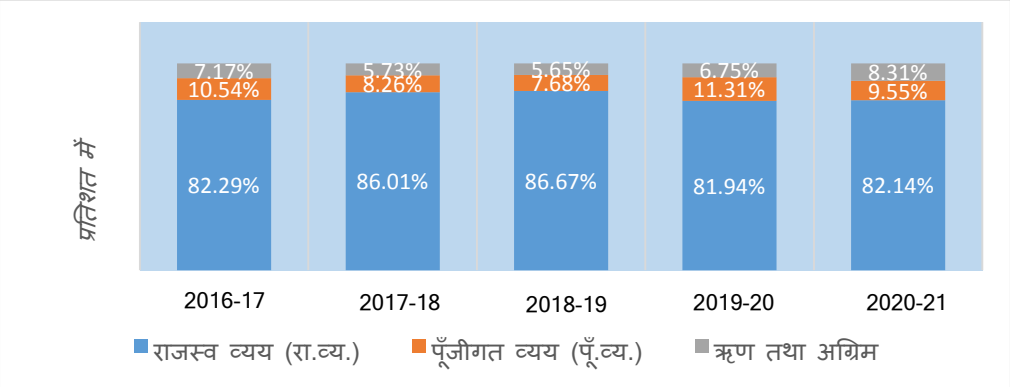

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंश

व्यय के विभिन क्षेत्रों के संबधित अंशों को **तालिका 2.16** में दर्शाया गया है। कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर) में सामान्य सेवाओं के अंश 2019-20 में 15.45 *प्रतिशत* से 2020-21 में 13.29 *प्रतिशत* तक घट गए थे।

तालिका 2.16: कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर) में से व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंश

(प्रतिशत में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएं[13]	19.49	18.92	18.31	15.45	13.29
सामाजिक सेवाएं[14]	52.54	53.96	55.08	53.16	51.55
आर्थिक सेवाएं[15]	17.93	18.61	15.40	16.62	20.93
अन्य (स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान एवं अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के संस्थानों, विभागों इत्यादि को ऋण एवं अग्रिम)	10.04	8.51	11.21	14.77	14.23

सामाजिक सेवाओं के अंश 2019-20 में 53.16 *प्रतिशत* से घट कर 2020-21 में 51.55 *प्रतिशत* हो गए। आर्थिक सेवाओं के अंश भी 2019-20 में

[13] प्रशासनिक तथा राजकोषीय सेवायें जैसे भूमि राजस्व, उत्पाद तथा व.से.क., पुलिस, जेल, लोक निर्माण कार्य आदि शामिल है।

[14] शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह, शहरी विकास, श्रम कल्याण, सामाजिक कल्याण आदि शामिल है।

[15] कृषि तथा संबंधित गतिविधि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण इत्यादि शामिल है।

16.62 *प्रतिशत* से बढ़कर 2020-21 में 20.93 *प्रतिशत* हो गए। ऋणों तथा अग्रिमों और स्थानीय निकायों के अनुदानों के संवितरण पर कुल व्यय 2019-20 में 14.77 *प्रतिशत* से मामूली रूप से घटकर 2020-21 में 14.23 *प्रतिशत* हो गया। कुल व्यय गतिविधियों को **चार्ट 2.13** में दर्शाया गया है।

चार्ट: 2.13: कुल व्यय - गतिविधियों द्वारा व्यय

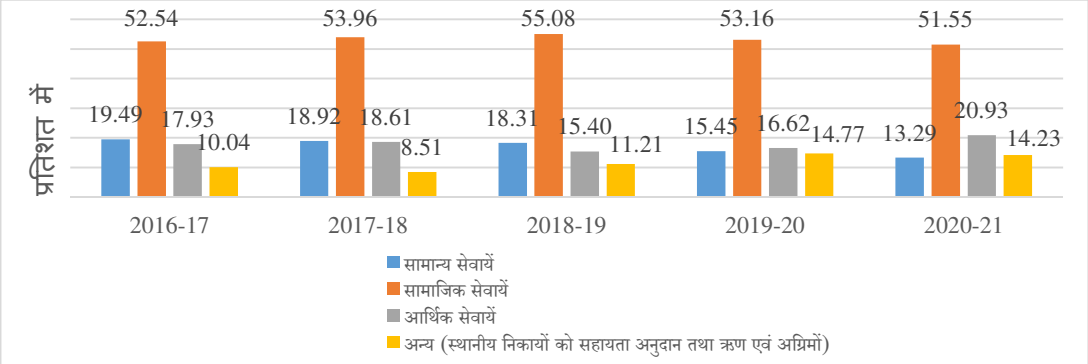

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले अनुबंधों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, राज्य अवसंरचना तथा सेवा नेटवर्क की किसी वृद्धि में इसका कोई परिणाम नहीं होता। **तालिका 2.17** पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) की तुलना में राजस्व व्यय को प्रस्तुत करती है। राजस्व व्यय 2016-17 में ₹ 29,302 करोड़ से 37.92 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. की *प्रतिशतता* के रूप में, राजस्व व्यय 2016-17 में 4.76 *प्रतिशत* से बढ़कर 2020-21 में 5.06 *प्रतिशत* हो गया। राजस्व व्यय 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ से 1.96 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ हो गया जो मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण 2019-20 में ₹ 6,530 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 8,514 करोड़ (30.38 *प्रतिशत*) तथा सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2019-20 में ₹ 22,145 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 22,693 करोड़ (2.47 *प्रतिशत*) हो गया।

तालिका 2.17: राजस्व व्यय - मूल मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	35,609	39,245	42,520	48,375	49,203
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414
पूर्व वर्ष में रा.व्य. में वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	11.23	15.19	9.18	7.56	1.96
राजस्व व्यय कु.व्य की *प्रतिशतता* के रूप में	82.29	86.01	86.67	81.94	82.14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	6,16,085	6,77,900	7,50,962	8,30,872	7,98,310
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	11.85	10.03	10.78	10.64	-3.92

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	4.76	4.98	4.91	4.77	5.06
रा.प्रा. की *प्रतिशतता* के रूप में रा.व्य.	85.31	87.29	85.48	84.09	96.54
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	0.95	1.51	0.85	0.71	(-) 0.50
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	(-) 6.01	1.21	0.80	0.81	(-) 0.18

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त **तालिका 2.17** से यह देखा जा सकता है पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान स.रा.घ.उ. (अनुपात) सहित राजस्व व्यय की उत्पलावकता 1.21 प्रतिशत प्वाइंटस तक घट गई।

इसी प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय की उत्पलावक्त 0.99 *प्रतिशत* प्वाइंटस तक घट गई।

2020-21 अवधि के लिए राजस्व व्यय के क्षेत्र-वार संवितरण को **चार्ट 2.14** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.14: 2020-21 के लिए राजस्व व्यय के क्षेत्र-वार संवितरण

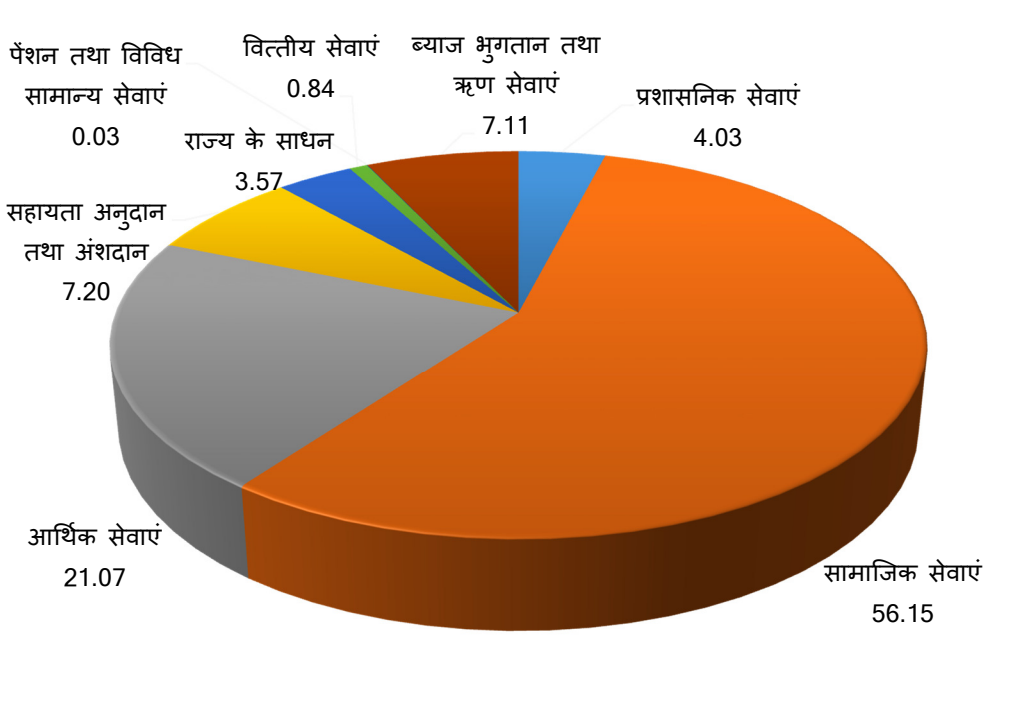

2.4.2.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

लेखों के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में विभिन्नताओं को **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्षों की तुलना में राजस्व व्यय में विभिन्नताएं

(₹ करोड़ में)

लेखों के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि(+)/कमी (-) (*प्रतिशत* में)
2040-बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	41.38	39.80	(-) 3.82%
2075-विविध सामान्य सेवायें	9.67	9.32	(-) 3.62%
2215-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	1,415.35	1891.57	33.65%
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछले वर्ग तथा अल्पसंख्यकें कल्याण	265.22	51.14	(-) 80.72%
2236 पोषण	149.42	151.42	1.34%
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6.39	6.21	(-) 2.82%
2216-आवास	102.61	100.41	(-) 2.14%
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7.67	7.50	(-) 2.22%

राजस्व व्यय के मुख्य शीर्षों में *प्रतिशत* बदलाव ने दो वर्षों की अवधि की तुलना में भिन्नताएं दर्शायी। शीर्ष '2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण' के अंतर्गत राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 80.72 प्रतिशत की कमी आई जबकि शीर्ष '2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता' के अंतर्गत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 33.65 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए लचीलापन कम रहता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों को **तालिका 2.19** में दर्शाया गया हैः

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन एवं मजदूरी	7,515.26	9,089.60	10,324.66	11,070.04	11810.19
पेंशन पर व्यय*	5.43	3.84	3.31	3.56	2.67
ब्याज भुगतान	2,882.52	2,870.67	2,867.11	2,751.87	2873.83
कुल	**10,403.21**	**11,964.11**	**13,195.08**	**13,825.47**	**14686.69**
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की *प्रतिशतता* के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	21.88	23.51	23.95	23.49	28.21
पेंशन पर व्यय	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	8.39	7.42	6.65	5.84	6.86
कुल	**30.29**	**30.94**	**30.61**	**29.34**	**35.08**
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की *प्रतिशतता* के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	25.65	26.93	28.02	27.93	29.22
पेंशन पर व्यय	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	9.84	8.50	7.78	6.94	7.11
कुल	**35.51**	**35.44**	**35.81**	**34.88**	**36.34**

* भा.स. द्वारा दिल्ली में केवल पूर्व विधायकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन, रा.रा.क्षे.दि.स. के कार्मिकों की पेंशन देयता वहन की जाती है।

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के अंश **चार्ट 2.15** में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 2.15: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के घटक के अंश

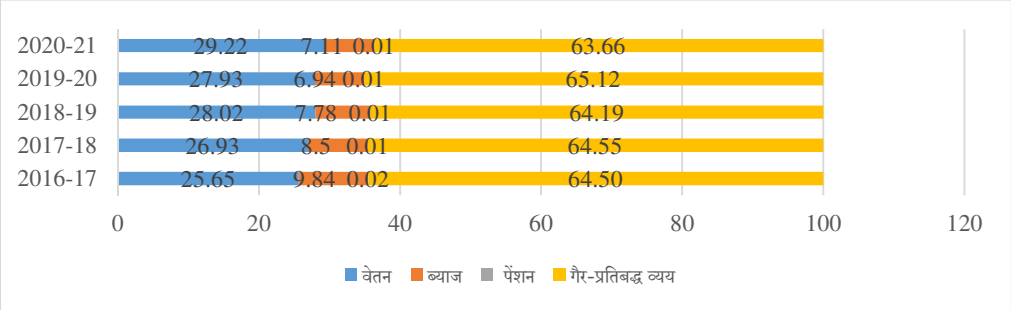

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात् हुई है, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के पात्र हैं। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 *प्रतिशत* का अंशदान देना होता है, हालांकि 1 अप्रैल 2019 से नियोक्ता का अंशदान 10 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 14 *प्रतिशत* कर दिया गया है। समस्त राशि नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक द्वारा निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2020-21 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों के अंशदान के ₹ 313.83 करोड़ तथा नियोक्ताओं के अंशदान के ₹ 436.25 करोड़ के प्रति कुल ₹ 750.08 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में जमा कराये गये थे। इस प्रकार, एन.पी.एस. के अंतर्गत 2020-21 के दौरान कार्मिकों के साथ-साथ नियोक्ताओं के प्रति कोई बकाया नहीं था।

2.4.2.4 सब्सिडी

रा.रा.क्षे.दि.स. शिक्षा अधिकार अधिनियम इत्यादि के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली जल बोर्ड तथा डिस्कॉमस के उपभोक्ताओं को डी.टी.सी./कलस्टर बसों द्वारा महिला बस यात्रियों के लिए सब्सिडी देती है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सब्सिडी पर व्यय को **तालिका 2.20** में दिखाया गया है। सब्सिडी पर व्यय 2016-17 में ₹ 2,160 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 4,177 करोड़ (93.38 *प्रतिशत*) हो गया। 2020-21 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 16.25 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।

तालिका 2.20: 2016-17 से 2020-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
सब्सिडी	2,160	2,497	2,533	3,593	4,177
राजस्व प्राप्तियाँ	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864
राजस्व व्यय	29,302	33,754	36,852	39,637	40,414
राजस्व प्राप्तियों की *प्रतिशतता* के रूप में सब्सिडी (*प्रतिशतता* में)	6.29	6.46	5.88	7.62	9.98
राजस्व व्यय की *प्रतिशतता* के रूप में सब्सिडी (*प्रतिशत* में)	7.37	7.40	6.87	9.06	10.34

राजस्व प्राप्तियों की *प्रतिशतता* के रूप में सब्सिडी 2019-20 में 7.62 *प्रतिशत* से बढ़कर 2020-21 में 9.98 *प्रतिशत* हो गई। राजस्व व्यय की *प्रतिशतता* के रूप में सब्सिड़ी 2019-20 में 9.06 *प्रतिशत* से बढ़कर 2020-21 में 10.34 *प्रतिशत* हो गई।

2016-17 से 2020-21 के दौरान डिस्कॉम्स के माध्यम से उपभोक्ताओं और डीटीसी/क्लस्टर बसों के माध्यम से महिला बस यात्रियों को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई सब्सिडी **तालिका 2.21** में दी गई है।

तालिका 2.21: 2016-17 से 2020-21 के दौरान ऊर्जा और मुक्त बस यात्रा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की प्रवृत्ति

वर्ष	**ऊर्जा सब्सिडी (₹ करोड़ में)**	**मुक्त बस यात्रा (₹ करोड़ में)**
2016-17	1577.94	लागू नहीं
2017-18	1676.70	लागू नहीं
2018-19	1699.71	लागू नहीं
2019-20	2405.59	44.52
2020-21	2939.99	114.86

डिस्कॉम्स उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ऊर्जा सब्सिडी 2016-17 में ₹ 1,577.94 करोड़ से 86.32 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,939.99 करोड़ हो गई। 2019-20 की तुलना में सब्सिडी ₹ 2,405.59 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,939.99 करोड़ (22.21 *प्रतिशत*) हो गई।

2.4.2.5 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विवरण **तालिका 2.22** में दर्शाए गए हैं तथा वित्तीय सहायता में प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएं	6,057.07	6,241.68	6,337.30	6,221.62	7,253.15
कुल (क)	**6,057.07**	**6,241.68**	**6,337.30**	**6,221.62**	**7,253.15**
(ख) अन्य					
दिल्ली छावनी बोर्ड	25.16	26.27	23.08	14.52	18.68
दिल्ली जल बोर्ड	1,384.65	1,930.00	2,315.98	2,855.46	4,319.00
दिल्ली परिवहन निगम	1,550.00	2,007.00	1,825.00	2,030.00	2,475.00
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	307.00	255.53	506.70	378.89	833.26
अन्य (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान, अस्पताल, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, तकनीकी शिक्षा संस्थान आदि)	3,138.88	2,962.37	4,079.16	4,732.48	3,500.95
कुल (ख)	**6,405.69**	**7,181.17**	**8,749.92**	**10,011.35**	**11,146.89**
कुल (क+ख)	**12,462.76**	**13,422.85**	**15,087.22**	**16,232.97**	**18,400.04**
राजस्व व्यय	29,302.00	33,754.00	36,852.00	39,637.00	40,414
राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में सहायता	42.53	39.77	40.94	40.95	45.53

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सूचना

चार्ट 2.16 वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियां

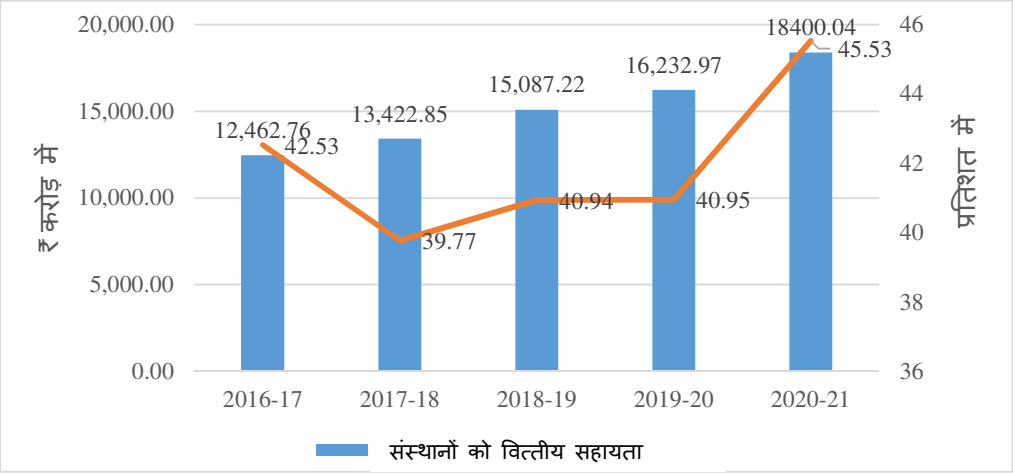

स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 2019-20 में ₹ 16,232.97 करोड़ से 13.35 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में ₹ 18,400.04 करोड़ हो गई। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय सहायता 2019-20 में 40.95 *प्रतिशत* से बढ़कर 2020-21 में 45.53 *प्रतिशत* हो गई।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू.व्यय) मुख्य रूप से अचल अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कों, भवनों आदि के निर्माण पर व्यय है। पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियां **चार्ट 2.17** में प्रस्तुत की गई हैं।

चार्ट 2.17: रा.रा.क्षे. दिल्ली में पूँजीगत व्यय

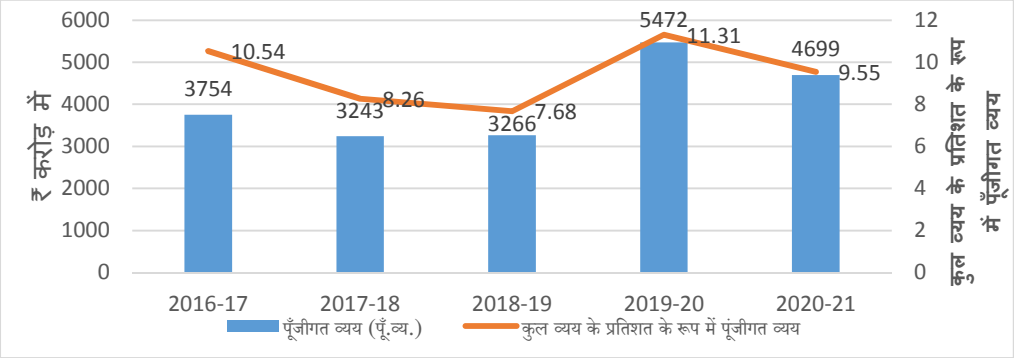

चार्ट से यह देखा जा सकता है कि पूँजीगत व्यय में ₹ 3,243 करोड़ और ₹ 5,472 करोड़ के बीच अंतर वर्ष के मध्य में उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करता है।

इसी प्रकार कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में पूँजीगत व्यय में अंतर वर्ष के मध्य में उतार-चढ़ावों को दर्शाता है। जो 2016-21 की अवधि के दौरान 7.68 *प्रतिशत* से 11.31 *प्रतिशत* के बीच था। पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में कम हो कर ₹ 5,472 करोड़ से ₹ 4,699 करोड़ (14.13 *प्रतिशत*) हो गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

पूँजीगत व्यय के मुख्य शीर्षों में परिवर्तन **तालिका 2.23** में दर्शाए गये हैं।

तालिका 2.23: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान लेखा के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखा के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ कमी (-)
5054-सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	771.92	934.23	(+)21.03%
5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	282.89	654.85	(+)131.49%
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.09	1.29	(+)1333.33%
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	116.20	102.98	(-)11.38%
4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	192.62	211.59	(+)9.85%
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	357.37	536.83	(+)50.22%
4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2.69	5.73	(+)113.01%
4202- शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1298.99	973.15	(-)25.08%
4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	1823.10	1121.53	(-) 38.48%

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय (मु.शीर्ष 5055) में पिछले वर्ष की तुलना में 131.49 *प्रतिशत* (₹ 371.96 करोड़) की वृद्धि हुई। मौजूदा अस्पतालों की री-मॉडलिंग (₹ 179.77 करोड़), अस्तपताल के लिए भवन निर्माण (₹ 150.59 करोड़) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र (₹ 35.89 करोड़) के कारण चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय में 50.22 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। इसी अवधि में शीर्ष '5054-सड़कों और पुलों पर पूँजीगत व्यय' के तहत पूंजीगत व्यय में

21.03 *प्रतिशत* (₹162.31 करोड़) की वृद्धि हुई। शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 38.48 *प्रतिशत* घट गया। उसी प्रकार शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय पिछले वर्ष की तुलना में 25.08 *प्रतिशत* कम हो गया।

2.4.3.2 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2021 तक सरकार ने सरकारी कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 19,911 करोड़ का निवेश किया था। 2020-21 में निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 500 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2020-21 में निवेश पर प्रतिफल 0.05 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने 2020-21 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.04 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था। इसका विवरण **तालिका 2.24** में दिया गया है:

तालिका 2.24: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारियों की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	18,933	19,173	19,261	19,411	19,911
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	11.28	15.91	14.31	15.84	9.80
प्रतिफल (*प्रतिशत* में)	0.06	0.08	0.07	0.08	0.05
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत*)	8.65	8.58	8.64	8.14	7.04
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (*प्रतिशत*)	8.59	8.50	8.57	8.06	6.99
सरकारी उधारियों के ब्याज तथा निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में)#	**1,626**	**1,630**	**1,651**	**1,565**	**1,392**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

#वर्ष के अंत तक निवेश

सरकारी निवेश 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्षों की अवधि में 5.17 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। रा.रा.क्षे. दि.स. ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.04 *प्रतिशत* से 8.65 *प्रतिशत* के बीच की दर पर ब्याज का भुगतान किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों पर प्रतिफल की *प्रतिशत*ता 0.05 *प्रतिशत* तथा 0.08 *प्रतिशत* (ऐतिहासिक लागत पर) के बीच की श्रेणी में थी। पाँच वर्ष के दौरान वितरित और वसूले गए ऋण **तालिका 2.25** में दिए गए है।

तालिका 2.25: पाँच वर्षों के दौरान वितरित और वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरित एवं वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋणों का आरंभिक शेष	59,915	62,255	63,812	64,570	67,014
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	2,553	2,248	2,402	3,266	4,090
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	213	691	1,644	823	631
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	62,255	63,812	64,570	67,014	70,473
निवल योग	2,340	1,557	758	2,443	3,459

वितरित एवं वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्राप्त ब्याज	82	396	113	404	468
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	0.13	0.62	0.18	0.60	0.66
सरकार की बकाया उधारियों पर प्रदत्त ब्याज दर (*प्रतिशत*)	8.64	8.55	8.74	7.92	6.13
प्राप्त ब्याज दर और प्रदत्त ब्याज दर के बीच अंतर *(प्रतिशत)*	8.51	7.93	8.56	7.32	5.47

2.4.3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.), रा.रा.क्षे.दि.स. के इक्विटी तथा बकाया ऋण का वित्त लेखों में आंकड़ों के साथ मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी तथा बकाया ऋणों से संबंधित आंकड़ों को रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखों में दर्शाये गए आंकड़ों के साथ मेल खाना चाहिए। यदि किसी मामले में आंकड़े मेल नहीं खाते, तो संबंधित सा.क्षे.उ. तथा वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राज्य सा.क्षे.उ. के इक्विटी तथा ऋण बकाया के आंकड़ों में अंतर है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखा, 2020-21 में उन्हें दर्शाया गया है जैसा कि **तालिका 2.26** में दिखाया गया है।

तालिका 2.26: वित्त लेखों के अनुसार इक्विटी तथा ऋण बकाया की तुलना में राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेख

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी तथा ऋण बकाया		अंतर
	वित्त लेखों के अनुसार	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार	
कुल इक्विटी	9297.90	9202.48	95.42
कुल ऋण	15820.20	15185.76	4.44

स्रोतः राज्य सा.क्षे.उ. तथा वित्त लेखों के अभिलेख, रा.रा.क्षे.दि.स.

डी.टी.आई.डी.सी. से संबंधित इक्विटी में आंकड़ों के बीच (₹ 95.42 करोड़) का अंतर है जबकि डी.एस.एफ.डी.सी. (₹ 1.58 करोड़) डी.एस.सी.एस.सी. (₹ 2.22 करोड़) डी.टी.टी.डी.सी. (₹ 3.15 करोड़) तथा पी.पी.सी.एल. (₹ -2.51 करोड़) से संबंधित ऋणों के आंकड़ों में अंतर है।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार तथा सा.क्षे.उ. इन अंतरों का समय बाधित ढंग से मिलान करे।

2.4.4 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2016-17 और 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वित्तीय प्राथमिकता को **तालिका 2.27** और **चार्ट 2.18** दर्शाता है।

तालिका 2.27: 2016-17 तथा 2020-21 में रा.रा.क्षे.दि.स. की वित्तीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा वित्तीय प्राथमिकता	*कु.व्य./स.रा.घ.उ.*	*पू.व्य./कु.व्य.*	*शिक्षा/कु.व्य.*	*स्वास्थ्य/कु.व्य.*
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2016-17	5.78	9.56	25.33	11.32
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2020-21	6.16	9.05	21.66	13.00
कु.व्य.: कुल व्यय, पू.व्य: पूँजीगत व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर)				

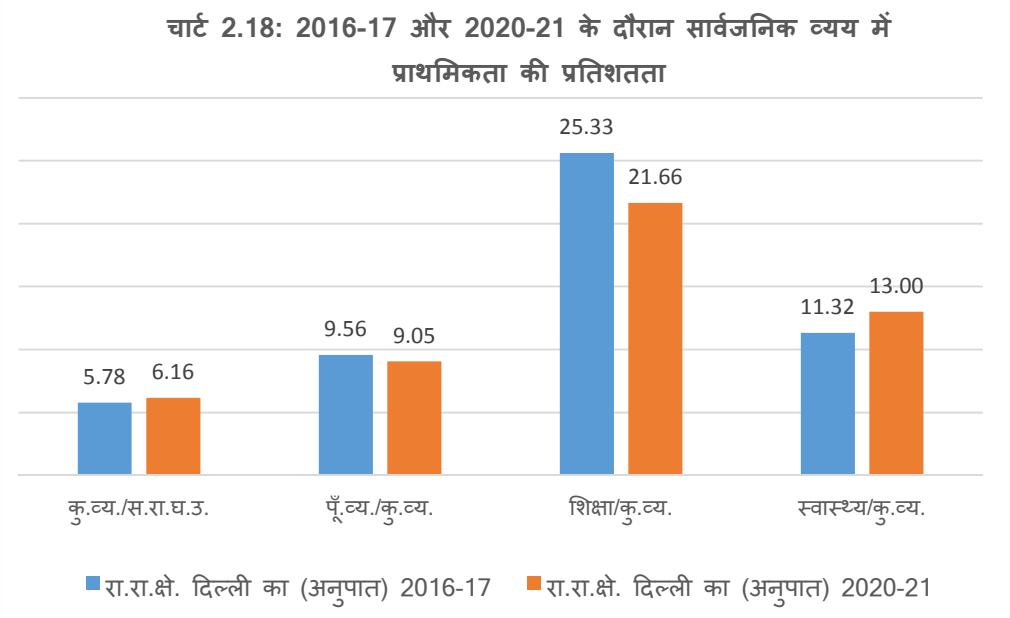

स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2016-17 में 5.78 *प्रतिशत* से बढ़कर 2020-21 में 6.16 *प्रतिशत* हो गया। उसी अवधि के दौरान कुल व्यय में स्वास्थ्य पर व्यय के हिस्से में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। हालांकि उसी अवधि में कुल व्यय सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में पूँजीगत व्यय का अंश 9.56 *प्रतिशत* से घटकर 9.05 *प्रतिशत* हो गया तथा शिक्षा पर व्यय का अंश 25.33 *प्रतिशत* से घटकर 21.66 *प्रतिशत* हो गया।

2.5 ऋण प्रबंधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सभी आवश्यक ऋण भारत की संचित निधि से दिये गये हैं। भा.स. से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियाँ शामिल है।

2.5.1 ऋण रूपरेखा: घटक

तालिका 2.28 विगत पांच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋणों की रूपरेखा का एक समय श्रृंखला का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.28: भा.स. से ऋणों की रूपरेखा एवं रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की *प्रतिशतता*
2016-17	33,303.87	1,695.53	1,654.62	33,344.78	40.91	0.12
2017-18	33,344.78	1,906.34	1,682.43	33,568.69	223.91	0.67
2018-19	33,568.69	2,880.00	3,636.35	32,812.34	(-)756.35	(-)2.25
2019-20	32,812.34	4,765.60	2,811.10	34,766.84	1,954.50	5.96
2020-21	34,766.84	15,365.00	3,265.17	46,866.67	12,099.83	34.80

2020-21 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 41,002 करोड़ (₹ 46,867 करोड़ - ₹ 5,865 करोड़) था क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 5,865 करोड़ के व.से.क. मुआवजे को राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार सरकार का कर्ज ₹ 7,657 करोड़ (22.96 *प्रतिशत*) बढ़कर 2016-17 के अंत में ₹ 33,345 करोड़ से 2020-21 के अंत में ₹ 41,002 करोड़ हो गया।

2.6 ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण के आकार के अतिरिक्त, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। ऋण धारणीयता भविष्य में अपने ऋण को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को दर्शाता हैं। यह खंड विकास दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, ऋण भुगतान एवं ऋण प्राप्तियों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उपलब्ध शुद्ध ऋण के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। **तालिका 2.29** 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्ष की अवधि का इन संकेतकों के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.29: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

ऋण धारणीयता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल बकाया ऋण* (₹ करोड़ में)	33,345	33,569	32,812	34,767	46,867**
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (*प्रतिशत)*	0.12	0.67	-2.25	5.96	34.80
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	6,16,085	6,77,900	7,50,962	8,30,872	7,98,310
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत)*	11.85	10.03	10.78	10.64	-3.92
कुल ऋण/ स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत)*	5.41	4.95	4.37	4.18	5.14**
ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,883	2,871	2,867	2,752	2,874
बकाया सार्वजनिक ऋण की औसत ब्याज दर (*प्रतिशत)*	8.65	8.58	8.64	8.14	7.04
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	34,346	38,667	43,113	47,136	41,864
राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का *प्रतिशत*	8.39	7.42	6.65	5.84	6.87
ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)	1,655	1,682	3,636	2,811	3,265
ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,696	1,906	2,880	4,765	15,365
ऋण प्राप्तियों में ऋण पुनर्भुगतान का *प्रतिशत*	97.59	88.25	126.25	58.99	21.25

ऋण धारणीयता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
रा.रा.क्षे. दिल्ली*** का उपलब्ध निवल ऋण	(-)2,842	(-)2,647	(-)3,623	(-)798	9,226
ऋण प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	-	-	-	-	60.05

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

*बकाया सार्वजनिक ऋण शीर्ष '6003- आंतरिक ऋण' एवं '6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत बकाया शेष का योग है।

** वर्ष 2020-21 के दौरान भा.स. से व.से.क. मुआवजा कमी के बदले प्राप्त किया गया ₹ 5,865 करोड़ का निरंतर ऋण भी शामिल है। इस ऋण का ऋण भुगतान व.से.क. मुआवजा निधि में सैस के संग्रहण से किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार, पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से नहीं लिया जाना चाहिए। इस निरंतर ऋण को छोड़ने के बाद वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर राज्य का प्रभावी ऋण ₹ 41,002 करोड़ था तथा स.रा.घ.उ. अनुपात 5.14 *प्रतिशत* होना चाहिए।

***रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान एवं सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान के उपर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

चार्ट 2.19: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

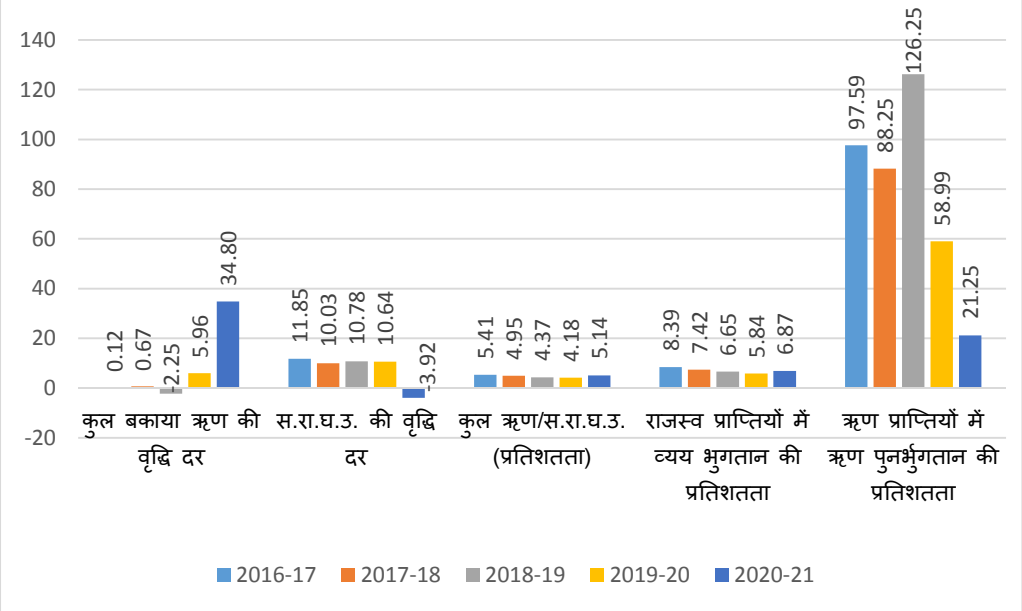

सार्वजनिक ऋण में पूर्व वर्ष की तुलना में 2020-21 में 34.80 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान (₹ 3,265 करोड़) सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों (₹ 15,365 करोड़) से कम था।

2.7 निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक संकेतकों और उन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता का एक आशुचित्र **तालिका 2.30** में दिया गया है।

तालिका 2.30: मुख्य मापदंड

सकारात्मक संकेतक	कड़ी निगरानी रखने वाले मापदंड
भारत सरकार से सहायता अनुदान 20.96 *प्रतिशत* तक बढ़ गया	रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ 11.18 *प्रतिशत* तक कम हो गई
सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 16.15 *प्रतिशत* तक बढ़ गया	पूँजीगत व्यय 14.13 *प्रतिशत* तक कम हो गया
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां 23.33 *प्रतिशत* तक कम हो गई
	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों 99.37 *प्रतिशत* तक बढ़ गई।